



2026:AHC:25871

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 485 सन् 2026

शिव पूजन एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: इंद्रकेश कुमार शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. त्वरित रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली के नियम 109 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 (चकबंदी अधिकारी, पडरौना, जिला कुशीनगर) को वाद संख्या 16/2010-11 (शिव पूजन बनाम शिव नारायण) में दिनांक 13.09.2012 को रिकॉल आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए, जो उसके समक्ष लंबित है, जैसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से लंबित है, परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपरोक्त के रूप में इस निष्कर्ष में, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लिखित है, प्रतिवादी संख्या 2 को कानून के अनुसार, एक तर्कपूर्ण और सकारण आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को किसी भी अनावश्यक स्थगन को शीघ्रता से दिए बिना, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, सख्ती से उपरोक्त मामले का निर्णय करने के निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंत में निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 5, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"